फर्द अहकाम

नारायण **बनाम** ज्ञानचन्द व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 18/2024 (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	10/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र टी.आई. पर निर्णय नहीं लिखाया/सुनाया जा सका। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश दिनांक 14/02/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	14/2/25	आज दिनांक 14/02/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/02/25 को पेश हों। [हस्ताक्षर]	
	19/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उभयपक्ष दौरान की बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा अप्रत्यर्थीगण से पूर्व में विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत निष्पादित/प्रविष्ट नामांतकरण दिनांक 19.02.92 को निरस्त करवाए जाने तथा उक्त क्रम में अभिलिखित एकल खातेदार के स्वत्वी विक्रेता के रूप में विधिवत [illegible] अनुसार निष्पादित। पंजीकृत [illegible] दिनांक 11.01.13 [illegible] दिनांक 06.11.23 को [illegible] निरस्त कराए जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। जो कि अवलोकन अनुसार 32 वर्ष उपरान्त,	[हस्ताक्षर] P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.28 14:07:14 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायपत्री बनाम अमरचंद व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 18/2024 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/02/25	12 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत किया गया है तथा अपने वादपत्र / प्रा०पत्र टी. आई. के अन्तर्गत यह भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि पूर्व में निष्पादित नामांतकरण व पंजीकृत विक्रय पत्रों के संदर्भ में सक्षम स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है, तथा यदि की गई है तो उक्त संदर्भ में प्रक्रिया किस स्तर पर लम्बित है, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उक्त प्रक्रियाएं विधिवत व नियमानुसार कार्यवाही के अन्तर्गत प्रावधान अनुसार सम्पादित / निष्पादित की गई है। उक्त वाद अधीन उल्लेखित पंजीकृत विक्रय पत्रों के अन्तर्गत क्रय विक्रय सद्भावी विक्रेता व सद्भावी क्रेता के रूप में तथा राजस्व रिकॉर्ड में स्थापित एकल अभिलेखित खातेदार के रूप में नियमानुसार निष्पादित / पंजीबद्ध कराए गए हैं। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रदर्शित / सिद्ध नहीं है। जिसके संदर्भ में उक्त आपत्ति सक्षम स्तर पर अपील के विषय है। जिसके संदर्भ में प्रार्थीपत्र द्वारा अनुतोष चाहा गया है। जो कि न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकारिता का विषय नहीं है। वादपत्र के अन्तर्गत प्रार्थीगण (वादीगण) के उल्लेखित कथन व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रार्थीगण (वादीगण) की प्रस्तुत [illegible] अनुसार साक्ष्यों की [illegible] विषय है। जिसके अनुसार उभयपक्ष की पूर्ण सुनवाई उपरान्त [illegible] अपेक्षित है। जिसके [illegible] विधिक कार्यवाही जैर [illegible] के अपेक्षित हक अधिकार [illegible] प्रक्रिया के अन्तर्गत मूलवाद के रूप में सुरक्षित है परन्तु साथ ही चूंकि भूमि के पूर्व अभिलेखित खातेदार द्वारा नियमानुसार व विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि का विक्रय एक सद्भावी क्रेता के रूप में (जो कि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.28 14:07:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

न्यायपत्री बनाम अमरचंद व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 18/2024 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/2/25	विक्रेतागण को निर्धारित विधिक प्रक्रिया अनुसार विरासतन व सद्भावी क्रेता के रूप में प्राप्त हुई है) अप्रार्थी 3 को किया गया है तथा अप्रार्थी (सं. 3) द्वारा भी भूमि के अभिलेखित एकल खातेदारान से सद्भावी क्रेता के रूप में प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार क्रय की जाकर अप्रार्थी 3 राजस्व रिकॉर्ड में प्रचलित एकल खातेदार स्थापित है तथा अभिलेखित एकल खातेदार से विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत सद्भावी क्रेता के रूप में विधिवत प्रविष्ट कराए गए अभिलेखित खातेदार के अंकन के रूप में भूमि के उपयोग-उपभोग के सम्बन्ध में अभिलेखित एकल खातेदार को अपनी अभिलेखित एकल खातेदारित की भूमि के उपयोग-उपभोग हेतु अनिश्चित काल / अवधि तक निषेधित किया जाना तथा भूमि के समुचित उपयोग उपभोग के विधिक अधिकार से वंचित रखा जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं, जबकि प्रार्थीगण के हक अधिकार आगामी प्रक्रियाओं उपरान्त मूलवाद के निर्णय के (भविष्यवर्ती) रूप में सुरक्षित है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र टी.आई. पोषणीय नहीं होने से इस निर्देश के अधीन खारिज किया जाता है कि प्रकरणाधीन भूमि के संदर्भ में आगामी अन्तरण / हस्तांतरण मूलवाद के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर